AZAD CGPSC ACADEMY

AZAD CGPSC ACADEMY

Unit Of Azad Group

पंचायतीराज व्यवस्था भाग –2

ACADEMY

ग्राम पंचायत की समितियाँ

- ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ समिति के सदस्यों का चुनाव विशेष बैठक में
- ग्राम पंचायत की 5 स्थायी समितियाँ होगी।
- कोई भी व्यक्ति एक समय में अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है ।
- लेकिन किसी समिति में अधिकतम 2 व्यक्ति संयोजित हो सकते हैं, जिन्हें समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव हो।
- सहेजित व्यक्ति कार्यवाही में भाग लेगें, पर मताधिकार नहीं।
- आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत की बैठकों में शासकीय अधिकारी, मतदान का अधिकार नहीं। विशेषज्ञ सलाह देने के लिये आमंत्रित किये जा सकते है।

- <u>सामान्य प्रशासन समिति</u>:– ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, बजट, लेखा,
- कराधान, अन्य वित्त्रिय विषय इस समिति का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्राम पंचायत को समनुदेशित विषय, अन्य विषय जो अन्य समिति को आवंटित न हो ।
- सभापति – सरपंच (अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा।)
- समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार

AZAD CGPSC ACADEMY

- समिति की बैठक संबंधि सूचना 3 दिन पहले
- पंचायत सचिव सभी समिति के सचिव

❖ <u>निर्माण तथा विकास समिति</u> :–ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजना, प्रबंधन

- वन जल सभी निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण
- ग्राम, कुटीर और खादी उद्योगों का विकास पर जोर
- महिला/बच्चों के लिए उद्यान/उपवन
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

❖ <u>शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति</u>–

- प्रत्येक माह विद्यालयों का निरीक्षण
- 5 तारीख तक पिछले माह के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन
- अनौपचारिक शिक्षा पदोन्नति एवं सहायकता
- प्रौढ़ शिक्षा (ICDS, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण, परीवार नियोजन कार्यक्रम इत्यादि कल्याण स्कीमों का प्रोत्साहन और निरिक्षण, गरीबी रेखा कार्यक्रम

AZAD CGPSC ACADEMY

- पंचायत क्षेत्र की आरोग्यता, स्वच्छता।
- महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, **ST, SC, OBC** और **BPL** लोगों के लिये विकास तथा विशेष खेदकूद
- इस समिति का सभापति उपसरपंच अन्य किसी समिति का सदस्य नहीं होगा।

❖ <u>गौठान समिति →नवनिर्मित समिति</u>

❖ <u>कृषि, पशुपालन राजस्व तथा वन समिति</u>–

- लघु सिंचाई तथा श्रम।
- उन्नत बीच।
- उद्यानिकी, डेयरी एवं मत्स्यपालन।
- कृषि भूमि विकास तथा संरक्षण।
- 20 कृषि भूमि विकास तथा संरक्षण।
- वन एवं सामाजिक वानिकी।

AZAD CGPSC ACADEMY

अन्य तथ्य

- छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा – 46 के अंतर्गत।
- जिला कलेक्टर के अनुमति से इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती हैं।
- सदस्यों की संख्या चार (सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर)
- शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है।
- समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णित किसी विषयवस्तु पर 6 माह के बाद फिर से पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है। परन्तु कम –से – कम तीन चौथाई सदस्य लिखित तौर पर सहमति दें या विहित अधिकारी निर्देश दे।
- समिति के सभापतियों का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है।

AZAD CGPSC ACADEMY

जनपद पंचाायत की स्थायी समितियां

- समितियों की संख्या 5 से 7 तक (जिला कलेक्टर के अनुमति से इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती है)
- समितियों से सदस्य–
  - जनपद पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित जनपद पंचायत सदस्य अधिकतम तीन समितियों के सदस्य हो सकते हैं।
  - विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है उस पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा।
- समितियों के सचित–
  - सामान्य प्रशासन समिति का – जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO)
  - अन्य समितियों का – जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी
- समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम –से – कम एक बार।

AZAD CGPSC ACADEMY

जपनद पंचायत की स्थायी समितियाँ

समितियाँ	सभापति	सदस्य	कार्य एवं शक्तियाँ
✪ सामान्य प्रशासन समिति	जनपद पंचायत का अध्यक्ष्य पदेन सभापति	अन्य समिति के सभापति (पदेन रूप से)	➲ जनपद पंचायम की स्थापना, प्रशासन, विकास, कार्य योजना, बजट, लेखाकराधान, वित्तीय मामले, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ➲ बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि टिड्डी दल तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत।
✪ शिक्षा समिति	जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन सभापति		➲ प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ➲ महिला एवं शिशु कल्याण। ➲ मद्यनिषेध, अश्पृश्यता निवारण। ➲ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ➲ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। ➲ दुर्भिक्ष (Drought) ➲ खेलकूद एवं युवक कल्याण। ➲ निःशुक्तों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण
✪ स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति			➲ लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। ➲ महिला एवं बाल कल्याण। ➲ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी।

AZAD CGPSC ACADEMY

✪ कृषि समिति			➲ कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, मत्स्यपालन, कम्पोस्ट एवं खाद बनाना, समिति समोच्च बंधान एवं बीज वितरण आदि।
✪ वन समिति			➲ सामाजिक वानिकी एवं राष्ट्रीय उद्यान ➲ एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम। ➲ लघु वनोपज का विकास व अन्य वानिकी कार्यक्रमों के लिए।
✪ सहकारिता और उद्योग समिति		जनपद पंचायत के सदस्य	➲ सहकारिता बाजार, कुटीर उद्योग, लघुउद्योग आदि। ➲मितव्ययिता और अल्प बचत ।
✪ संचार एवं संकर्म समिति	इस समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को सभापति चुना जाता है।	जनपद पंचायत के सदस्य।	➲ संचार ➲ लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह आवास निर्माण आदि। ➲ ग्रामीण जल प्रदाय, जल निकाशी (नाली) की व्यवस्था।

➢ समितियों के आधे–से–अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर सभापति को बैठक बुलाना आवश्यक है।

AZAD CGPSC ACADEMY

- **एक से अधिक समितियों से संबंधित विषयवस्तु पर अंतिम निर्णय जनपद पंचायत के सामान्य सभा में की जाती है।**
- **स्थायी समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र, जनपद अध्यक्ष को सौपेगा। परन्तु सामान्य प्रशासन समिति के सभापति (जनपद पंचायत अध्यक्ष) एवं शिक्षा समिति के सभापति (जनपद उपाध्यख) अपना त्यागपत्र नहीं दे सकते क्योंकि वे पदेन रूप से समितियों के सभापति होते है।**

जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ

- समितियों की संख्या 5 से 7 तक (जिला कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती है।
- समितियों के सदस्य–
  - जिला पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित

AZAD CGPSC ACADEMY

- ➲ विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेनरूप से सदस्य है उस जिला पंचायात के किन्हीं भी दो समितियों का पदेन सदस्य होगा।
- ➲ संसद का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है उस पंचायत के किन्ही दो समितियों का स्वेच्छानुसार पदेन सदस्य होगा।

➢ जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते है।

समितियों के संबंध में विशेष जानकारी

➢ **स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में रिक्त हुए स्थान जल्द भरे जायेंगे।**

➢ **उप–चुनाव में निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल उस समिति में शेष कार्यकाल में लिए होगा।**

गणपूर्ति

➢ **स्थायी समिति के बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे (1/2) सदस्यों से होगी।**

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायतों के संबंध अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

एक उम्मीदवार दो पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है तथा दोनों पदों को विजित करने के पश्चात किसी एक पद को धारण कर सकता है। जो अपने मतदान क्षेत्र से संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत हो।

- यह पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है।
- एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है।
- एक पंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है।
- एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है।
- एक अपने क्षेत्र से निर्वाचन हेतु सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है।
- एक अपने क्षेत्र से निर्वाचन हेतु जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है।
- एक उम्मीदवार दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- एक उम्मीदवार दो ग्राम पंचायत से दो वार्ड में चुनाव नही लड़ सकता है।

AZAD CGPSC ACADEMY

- एक उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- एक उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है।

यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हुआ है तो उसे 10 दिन के भीतर विहित पदाधिकारी अर्थात् कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को यह सूचना देना पड़ेगा कि वह पंचायत के कौन से पद पर सेवा करना चाहता है।

किन्तु यदि वह व्यक्ति दस दिन के भीतर सूचना नहीं देता है तो विहित पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित क्रम में एक पद क लिए विकल्प लिया माना जाएगाः–

जिला पंचायत सदस्य → जनपद पंचायत सदस्य → ग्राम पंचायत सरपंच→ ग्राम पंचायत का पंच

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है।

अधिकतम – 2

- निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent)
  - शिविर में पर्ची बांटते हैं।
- मतदान अभिकर्ता (Polling Agent)
  - मतदान स्थल पर होता है।
- गणना अभिकर्ता (Counting Agent)
  - गणना स्थल पर होता है।

AZAD CGPSC ACADEMY

निविदत्त मत (Tender Vote)

- यह मतपत्र (**Ballot Paper**) उस मतदाता (**Voter**) को दिया जाता हैं जिसने अभी मत नहीं दिया है किन्तु उसके नाम से मत दिया जा चुका है।

पंचायतों के द्वारा कर

पंचायतों द्वारा कर लगाने, एकत्र करते और हिस्सा बांटने का नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते है।

AZAD CGPSC ACADEMY

अनिवार्य कर

- बजार
- वृत्ति/व्यापार/आजीविका चलाने वाले पर
- भूमि
- पशुधन के रजिस्ट्रीकरण पर कर
- प्रकाश
- शौचालय/निजी संडासों पर

ऐच्छिक कर

- स्वच्छता पर कर
- जल निकासी पर (नाली)
- पेयजल (आपूति)
- बेलगाड़ी, टांगा स्टैण्ड पर कर

AZAD CGPSC ACADEMY

रिटर्निंग ऑफिसर

अपने क्षेत्र में मतदान को सूचारू रूप से सम्पन्न कराएगा।

पंचायत	**रिटर्निंग ऑफिसर**	**नियुक्ति**
जिला पंचायत	कलेक्टर/जिला निर्वाचन **अधिकारी**	राज्य निर्वाचन आयोग **(राज्य सरकार के परामर्श पर)**
जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत । नगरीय निकाय	डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/ अधीक्षक– भू– अभिलेख । सहायक अधीक्षक भू– अभिलेख। नायब तहसीलदार	→ राज्य निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन अधिकार यदि इसको अयोग प्राधिकृत करे तब।

AZAD CGPSC ACADEMY

➲ एक ही व्यक्ति एक से अधिक पंचायतों का रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है।

➲ <u>सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति</u>

↓

एक या एक से अधिक

राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी(यदि राज्य निर्वाचन अयोग प्राधिकृत करे) द्वारा नियुक्ति।

➲ पीठासीन अधिकारी :– मतदान केंद्र में।

↳ नियुक्ति → रिटर्निंग ऑफिसर (जिला निर्वाचल अधिक के परमर्श पर)

↳ राज्यसरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत् व्यक्ति या सरकारी सेवक पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जा सकत हैं।

➲ मतदान अधिकारी :– पीठासीन अधिकारी की सहायता हेतु।

AZAD CGPSC ACADEMY

फार्म जमा करने की प्रक्रिया

- प्रस्तावना या उम्मीदवार दोनों में से किसी के द्वारा भी जमा किया जा सकता है।
- यह फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है।

पंच :–

- अभ्यर्थी को नामांकन पत्र ।
- जमानत राशि
- पंच पद हेतु शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती ।

सरपंच :–

- अभ्यर्थी को नामांकन पत्र।
- शपथ पत्र ।
- जमानत राशि

AZAD CGPSC ACADEMY

जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु –

- ✪ अभ्यर्थी को नामांकन पत्र।
- ✪ शपथ पत्र।
- ✪ जमानत राशि

जिला पंचायत सदस्य पद हेतु–

- ✪ अभ्यर्थी को नामांकन पत्र।
- ✪ शपथ पत्र।
- ✪ जमानत राशि।

❖ निम्नलिखित परिस्थिति में अभ्यर्थी (Candidate) को जमानत राशि वापस कर दिया जायेगा।

- ➢ मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाये तो सूची के प्रकाशन के बाद या उसके मृत्यु के प्श्चात् जैसे भी दशा को निक्षेप यथाशीघ्र वापस कर दिया जाता है।
- ➢ यदि उसका नाम चुनावा लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित न हो तो ।
- ➢ यदि उसने कुल वैध मतों (विधिमान्य) का 1/6 मत प्राप्त किया हो तो।

AZAD CGPSC ACADEMY

- ❖ यदि रिटर्निंग ऑफिसर किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को नामंजूर करता है तो कारण सहित अपना निर्णय लिखेगा।
- ❖ यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित अधिकारियों के पास पुनरीक्षण के लिए अपील करेगा।
  - ➢ पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को।
  - ➢ सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को।
  - ➢ जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को।
  - ➢ जिला पंचायत के मामले में संचालक, (पंचायत और समाजसेवा को)